न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 02 / 2016
प्रविष्टि दिनांकः— 07—01—2016

नानूलाल पुत्र हरदेवा जाति खटीक निवासी ग्राम खरेडा तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
..... आवेदक

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र छोटू जाति खटीक निवासी ग्राम खरेडा तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक राज.
2. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ।
3. तहसीलदार टोडारायसिंह

.....प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवण्टन अधिनियम 1970

उपस्थित : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री महावीर तोगडा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय

दिनांक 09—03—2018

1— संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का सार इस प्रकार है कि भू—आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने केम्प खरेडा तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 03—12—2010 को अप्रार्थी संख्या 1 सोहनलाल पुत्र छोटू जाति खटीक निवासी ग्राम खरेडा तह0 टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 1.23 हे0 वाके ग्राम खरेडा में से 0.23 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 0.12 हे0 कुला रकबा 0.35 हे0 भूमि का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसे आवेदक ने आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए इस आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2— प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलब की गई एवं आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई।

3— आवेदक द्वारा दस्तावेजात में फोटो प्रति नामांतकरण सं0 1026, नकल जमाबंदी संवत 2068—71, नक्शा शीट, खसरा परिवर्तनशील संवत 2062, 2070, 2063, 2064, आवंटन आदेश, मिलान क्षेत्रफल, मिसल आवण्टन 11.01.2011, जमाबन्दी संवत 2066—2069, खसरा गिरदावरी संवत 2054—2065, जमाबंदी संवत 2070—2073 वाके ग्राम भासू की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त आवंटन के समय राज्य सरकार द्वारा आवंटन के लिए कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई ना ही शासकीय राजपत्र में इस तरह की उद्वघोषणा अधिसूचित की गई, बिना इसके भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटन के खसरा नंबर 68 रकबा 1.23 हे. तथा खसरा नंबर 93 रकबा 0.12 हे0 पर लगभग 40 वर्षो से आवेदक का ही कब्जा काश्त है। प्रतिपक्षी सं01 को भूमि आवंटन करने से पूर्व प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 द्वारा मौके की वस्तु स्थिति की जांच नहीं करवाई, आवंटित भूमि पर अलाटी का कभी कब्जा नहीं रहा तथा ना ही वर्तमान में उसका कब्जा है, बल्कि उक्त खसरा नंबर में पर आज भी आवेदक का ही कब्जा काश्त है, आवेदक को खसरा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

नं0 68 के साबिक खसरा नं0 131 में 1 बीघा जमीन दिनांक 30.06.1986 को ही आवंटित हो चुकी थी परन्तु उक्त आवंटन का राजस्व कर्मचारियों द्वारा अमल नहीं किया गया जिसके लिए आवेदक ने उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के समक्ष वाद दायर कर रखा है जिससे यह तो स्पष्ट है कि उक्त खसरा नंबरान पर आवेदक का वर्षो से कब्जा काश्त है। प्रतिपक्षी सं0 1 ने आवंटन के लिए आवंश्यक शर्तो का पालन नहीं किया क्योकि आवंटन होने के प्रथम वर्ष में आधी व द्वितीय वर्ष में पूरी जमीन पर काश्त करना अनिवार्य है। प्रतिपक्षी सं0 1 ने विपक्षी सं0 2व 3 से सांठ गांठ करके भ्रष्टाचार तरीका अपनाते हुए उक्त खसरा नम्बर का आवंटन अपने हक में कपटपूर्वक व मिथ्या वर्णन के आधार पर बिना किसी कब्जे के करवा लिया, विपक्षी सं0 1 को हुए आवंटन की पालना में राजस्व अभिलेख में वर्तमान में उसके नाम गैर खातेदारी दर्ज है तथा उसे खातेदारी अधिकार नहीं मिले है, विपक्षी सं0 1 आवंटन के लिए पात्र व्यक्ति नहीं था वह भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है, उसके पास लगभग 15–20 बीघा जमीन है लेकिन फिर भी उसने सांठ–गांठ करके कपट पूर्वक व मिथ्यावर्णन के आधार पर उक्त आवंटन करा लिया। इन सभी तथ्यों से आवंटन नियमों के विपरीत होने से अप्रार्थी सं0 1 के हक में किया गया आवंटन को निरस्त फरमाया जावे। अपने कथन की पुष्टि में रूलिग्स आरआरडी 1984 पेज नं0 378, आरआरडी 1979 पेज 125, आरआरडी 1983 पेज 53 एवं आरआरडी 1982 पेज 576 उद्वरित की है।

5– विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी सं01 की और से अपने जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यो का दोराने बहस कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से उक्त भूमि का आवण्टन प्रतिपक्षी सं0 1 के हक में किया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटन से काफी समय पूर्व से ही प्रतिपक्षी सं0 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा था, इस संबंध में धारा 91 रा.ले.रे.एक्ट के तहत पत्रावली सं0 1906/2001 व 2734/2002 सहित हर वर्ष आवंटित भूमि पर आवंटी के कब्जे के संबंध तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा कार्यवाही की जाती रही थी। उक्त आवंटित भूमि के अडवा भी आराजी ख0नं0 92 व 101 स्वयं आवंटी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है और आवंटित भूमि उसकी खातेदारी की भूमि के अडवा होकर स्ट्रीप आफ लेण्ड की तारीफ में आने वाली भूमि होने के कारण एवं आवंटित भूमि पर प्रार्थी/आवंटी का कब्जा होकर उसके खेत में मिली हुई होने के कारण सही रूप से विपक्षी सं0 1 को आवंटित हुई है और आवंटन के पूर्व से लेकर आवंटन के पश्चात और वर्तमान में भी आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा चला आ रहा है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी से भी होती है। आराजी खसरा नंबर 68 का कुल रकबा 1.23 हेक्टेयर है जो कि 5 बीघा से अधिक बनता हे और उसमें से मात्र 0.23 हे. भूमि की प्रार्थी/आवंटी को आवंटित हुई है। ऐसी स्थिति में यदि वर्ष 1986 को इस में से केवल 1 बीघा भूमि किसी को आवंटित भी हो गई तो भी उस अवंटन के बाद लगभग 4 बीघा भूमि आवंटन की दिनांक को आवंटन हेतु शेष थी जिसमें से केवल 0.23 हे. भूमि आवंटी को आवंटित हुई है। आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी काफी समय पहले ही मिल चुकी है। आवंटी आवंटन की दिनांक को भूमिहीन काश्तकार था जबकि आवेदक न तो भूमिहीन था और ना ही आवंटन प्राप्त करने का पात्र था और ना ही आवंटित भूमि पर उसका कभी कब्जा रहा है। आवेदन गलत व निराधार तथ्यो पर पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

6– हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मूल आवंटन पत्रावली एवं बहस उभयपक्ष का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन एवं परिशीलन किया। भू–आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने केम्प खरेडा तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 03–12–2010 को अप्रार्थी संख्या 1 सोहनलाल पुत्र छोटू जाति खटीक निवासी ग्राम खरेडा तह0 टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 1.23 हे0 वाके ग्राम खरेडा में से 0.23 हेक्टेयर तथा खसरा

उ जिला कलेक्टर
टोंक

नम्बर 93 रकबा 0.12 हे0 कुल रकबा 0.35 हे0 भूमि का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है। आवंटन की दिनांक को भूमिहीन काश्तकार की सीमा से अधिक भूमि आवंटी के नाम हो इसका कोई सबूत आवेदक द्वारा पेश नहीं किया गया है। साबिक 131 मी. के हाल खसरा नंबर 68 का कुल रकबा 1.23 हेक्टेयर में से मात्र 0.23 हे. भूमि की प्रार्थी/आवंटी को आवंटित हुई है। आवंटित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में खातेदार प्रतिपक्षी सं0 1 के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में यदि वर्ष 1986 को इस में से केवल 1 बीघा भूमि किसी को आवंटित भी हो गई तो भी उस अवंटन के बाद लगभग 4 बीघा भूमि आवंटन की दिनांक को आवंटन हेतु शेष थी जिसमें से केवल 0.23 हे. भूमि आवंटी को आवंटित हुई है। आवंटन से पूर्व आवंटन के समय भूमि खाली व सिवायचक थी जो आवंटन योग्य थी। भूमि आवण्टन नियम 14(4) के तहत आवंटी को आवण्टन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में शेष भाग को काश्त करने के नियम को वर्ष 1999 में संशोधित कर समाप्त कर दिया गया है। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा विधिवत रूप से भूमि आवण्टन हेतु प्रार्थना पत्र भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का, भू0अ0 निरीक्षक व तहसीलदार के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं01 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई हे जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मौजूद थी। आवण्टन की सिफारिश आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी ओर अप्रार्थी सं0 1को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 03–12–2010 को ही किया गया था। आवेदक बरवक्त आवण्टन मौके पर मोजूद था ओर यदि उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र था। जहां तक उद्घोषणा जारी नही करने का प्रश्न है तो यहॉ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन प्रशासन गॉव के संग अभियान 2010 में मजमेआम में पूर्ण कोरम होने पर किया गया है। आवेदक ने अपने कब्जे के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत तो किये है फिर भी यदि आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है तथा अतिक्रमित भूमि आवण्टन योग्य मानी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक ने आवंटन दिनांक 14.01.2011 के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया है किन्तु उक्त आवंटन से संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रतिपक्षी सं0 1 को जो आवंटन विवादित भूमि का किया गया है वह आवंटन पत्रावली अनुसार दिनांक 03.12.2010 का है। अतः उक्त सभी तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक